तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/एल.आर./4266/2003/नागौर सरकार बनाम देवीदास	नम्बर व तारीख

<u>न्यायालय – राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर</u>

<u>एकलपीठ</u>

श्री राजेश कुमार दड़िया, सदस्य

उपस्थित –

श्री शिवप्रकाश चौधरी, उप राजकीय अधिवक्ता, प्रार्थी

अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक 03.02.2026

यह रेफरेन्स जिला कलक्टर, नागौर द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत अपने निर्णय दिनांक 08–07–2003 से राजस्व मण्डल में प्रेषित किया गया है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी तहसीलदार, डेगाना भूमिधारी द्वारा यह प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध अप्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या 1 के हक में तर्कनामें के आधार पर स्वीकृत नामांतकरण संख्या 67 बाबत आराजी खसरा नं0 15, 57, 75 व 78 कुल रकबा 16.4 बीघा वाके ग्राम खानपुरा दिनांक 20–06–1995 को भरा गया जिसे ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 08–11–1994 को स्वीकार किया गया, को निरस्त कराने एवं उसके बाद स्वीकृत अन्य नामांतकरण एवं इन्द्राजात विवादित आराजीयात को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थनापत्र को दर्ज करने के उपरांत बाद सुनवाई निर्णय दिनांक 08–07–2003 से यह रेफरेन्स मंडल के समक्ष पेश किया है।

विद्वान उपराजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गयी।

विद्वान उपराजकीय अधिवक्ता ने रेफरेंस में वर्णित तथ्यों की पुनरावृति करते हुए बहस की है कि सुगन कंवर द्वारा नामांतकरण संख्या– 67 के माध्यम से अप्रार्थी संख्या– 1 देवीदान पुत्र बालदान के हक में तर्कनामा किया गया है जबकि अप्रार्थी संख्या– 1 व सुगना कंवर के मध्य कोई खुन का रिश्ता नहीं है। सुगन कंवर द्वारा तर्कनामे की आड़ में स्टाम्प ड्यूटी बचाने हेतु आराजी का बेचान किया गया है। यदि तर्कनामा किया भी जाता है तो वह केवल मात्र खुन के रिश्तों के मध्य ही हो सकता है चूंकि सुगन कंवर एवं अप्रार्थी संख्या–1 के मध्य कोई खुन का रिश्ता नहीं होने से उक्त तर्कनामें के आधार पर स्वीकृत नामांतकरण विधि अनुकूल नहीं है। उपराजकीय अधिवक्ता द्वारा आगे यह भी तर्क किया गया कि नामांतकरण संख्या– 67 दिनांक 20–06–1995

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/एल.आर./4266/2003/नागौर सरकार बनाम देवीदास	नम्बर व तारीख

को भरा गया जिसकी भू– अभिलेख निरीक्षक द्वारा जाँच दिनांक 31–08–1996 को की गयी है जबकि ग्राम पंचायत मेवड़ा द्वारा पूर्ववर्ती दिनांक 08–11–1994 को नामांतकरण स्वीकार किए जाने के आदेश पारित किए। अतः उक्त नामांतकरण विधिसम्मत नहीं होने व पूर्ववर्ती दिनांकों में निस्तारण किए जाने से से स्वतः निरस्तनीय है। लिहाजा रेफरेंस स्वीकार किया जावे।

हमने उपराजकीय अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रस्तुत प्रकरण में तहसीलदार डेगाना भूमिधारी द्वारा निर्णय के पैरा नंबर– 1 में वर्णित आराजी खसरा नं0 15, 57, 75 व 78 कुल रकबा 16.4 बीघा वाके ग्राम खानपुरा के बारे में स्वीकृत नामांकतरण संख्या– 67 रद्द करने हेतु आवेदन पेश किया और विपक्षीगण को नोटिस जारी किए गए। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर द्वारा राजकीय अधिवक्ता और अप्रार्थीगण के अनुपस्थित होने के कारण राजकीय अधिवक्ता को एकपक्षीय सुना गया और सुनने के पश्चात् उक्त रेफरेन्स स्वीकार किया और यह उल्लेख किया कि नामांतकरण संख्या– 67 जोकि तर्कनामें के आधार पर स्वीकृत किया गया है उक्त नामांतकरण पैतृक संपत्ति का अपने रक्त संबंधों के अभाव में तर्कनामा होने व नामांतकरण भरने की दिनांक से पूर्ववर्ती दिनांक को सरपंच ग्राम पंचायत मेवड़ा द्वारा नामांतकरण स्वीकृत किए जाने से काबिल निरस्तनीय है।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख यथा नामांतकरण संख्या– 67 के अवलोकन से यह प्रकट है कि सुगन कंवर द्वारा देवीदान के हक में उप पंजीयक, डेगाना के समक्ष पंजीयन क्रमांक 363/90 दिनांक 22–05–1990 के माध्यम से तर्कनामा (Release Deed) की गयी थी जिसके आधार पर पटवारी हल्का द्वारा सुगन कंवर के 1/3 हिस्से को तर्क करने का नामांतकरण संख्या– 67 दर्ज कराने हेतु दिनांक 20–06–1995 को आवेदन तस्दीक किया गया। उपरोक्त कथनों के आधार पर उक्त नामांतकरण सुगन कंवर द्वारा देवीदान के हक में निष्पादित तर्कनामें के आधार पर तस्दीक किया गया है ऐसी स्थिति में विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या सुगन कंवर द्वारा रक्त संबंधन के अतिरिक्त दीगर व्यक्ति को तर्कनामें के आधार पर अपने हकों का हस्तातंरण किया जा सकता है अथवा नहीं? इस संबंध में भू– अभिलेख निरीक्षक द्वारा दिनांक 31–08–1996 को नामांतकरण की जांच करते हुए यह अभिलिखित किया गया कि स्टॉम्प बचाने की नियत से बेचाननामें को तर्कनामें में तब्दील किया है। इसी क्रम में अन्य विचारणीय प्रश्न यह भी है कि उक्त तर्कनामें के आधार पर सरपंच, ग्राम पंचायत मेवड़ा द्वारा दिनांक 08–11–1994 को नामांतकरण संख्या– 67 सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया है इस प्रकार सरपंच, ग्राम पंचायत मेवड़ा की पूर्ववर्ती स्वीकृति के उपरांत तहसीलदार द्वारा पुनः दिनांक 22–05–1990 को नामांतकरण संख्या– 67 को पुनः तस्दीक किन आधारों पर किया गया

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/एल.आर./4266/2003/नागौर सरकार बनाम देवीदास	नम्बर व तारीख

है। प्रकरण में कारित कार्यवाहियां स्वमेव संदेह की श्रेणी में आती है। जहां तक विधिक बिन्दु का प्रश्न है तर्कनामें के संबंध में विधिक स्थिति सुसपष्ट है कि किसी पक्षकार विशेष द्वारा अपने अधिकारों को रक्त संबंधी रिश्ते में ही तर्क किया जा सकता है, जबकि प्रस्तुत प्रकरण में पत्रावली के साथ ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं है जिससे यह जाहिर हो सके कि सुगन कंवर और अप्राथी संख्या–1 देवीदान के मध्य रक्त संबंध रिश्ता रहा हो। दीगर व्यक्तियों को हस्तांतरण केवल मात्र बैयनामें के आधार पर ही किया जा सकता है। प्रकरण में सुगन कंवर द्वारा निष्पादित तर्कनामा केवल मात्र स्टॉम्प ड्यूटी को बचाने की नियत मात्र से किया जाना प्रतीत होता है और इसी आधार पर मण्डल हाजा को रेफरेन्स अभिशंषित किया है जो स्वीकार योग्य पाया जाता है।

परिणामस्वरूप राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत यह रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी खसरा नं0 15, 57, 75 व 78 कुल रकबा 16.4 बीघा वाके ग्राम खानपुरा के बाबत् स्वीकृत नामांतकरण संख्या–67 निरस्त किया जाता है।

निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालयों को अभिलेख अविलम्ब भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश कुमार दड़िया)
सदस्य